न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 52/2026

श्री विपुल बैरागी निवासी म.न.5 चिन्तांपरा अंकित किराणा स्टोर के पास देवली तहसील देवली जिला टोंक पिन 304001 ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **02.06.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आनॅलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 19.04.2026 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

(क) तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री अभिमन्यु सिंह जी द्वारा वर्ष 1980 में श्री महादेव बैरागी (निवासी बंगाली कॉलानी देवली) के पक्ष में जारी किए गए नागरिकता प्रमाण पत्र से संबंधित संपूर्ण कार्यालयी पत्रावली (Note sheet and correspondence file) की प्रमाणित प्रति।

(ख) उक्त प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व की गई भौतिक पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (Physical Police Verification Report) की प्रमाणित प्रति।

(ग) श्री महादेव बैरागी द्वारा नागरिकता हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र (Application Form) एवं उसके साथ संलग्न किए गए पते के प्रमाण (Address Proof) तथा पहचान के प्रमाण (ID Proof) के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(घ) उस समय विस्थापितों को नागरिकता प्रदान करने के संबंध में शासन/सरकार द्वारा जारी किए गए नीतिगत आदेश/मार्गदर्शिका की प्रति, जिसके आधार पर उक्त प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 964 दिनांक 06.05.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 164 दिनांक 11.05.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां में बिन्दु क, ग एवं घ के संबंध में प्रार्थी को उनके पत्र कमांक 299 दिनांक 27.04.2026 से अवगत करा दिया गया है। बिन्दु संख्या ख की सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं अति. पुलिस अधीक्षक, टोंक से होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम —2005 की धारा 6(3) के तहत ऑनलाईन अन्तरित कर दिया गया हैं। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. पुलिस अधीक्षक, टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट अति. पुलिस अधीक्षक, टोंक के

जिला कलक्टर
टोंक

862

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपीलेट अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक